राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 933/2014

अशोक कुमार वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.10.2014
आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त वेतन परिलाभ मय शेष राशि भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 08.08.2000 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और उसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कालवास, तारानगर, चूरू पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची वर्ष 2006–07 तैयार की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 152 वर्ष 2000–03 पर अंकित था और अपीलार्थी से कनिष्ठ जिनका उक्त वर्ष में क्रम संख्या 153 पर अंकित था और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 01.04.2006 को चूरू मण्डल में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था और नियमानुसार पदोन्नति पाने का हकदार था। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2006–07 में पदोन्नति प्रदान करने

हेतु निवेदन किया, जिसके क्रम में अभ्यावेदन भी दिया। अपीलार्थी दिनांक 04.08.2007 के बाद जयपुर मण्डल में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा रिव्यू डीपीसी के तहत अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन किया गया, परंतु चयन उपरांत अपीलार्थी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतन नगर, चूरू में कार्यग्रहण नहीं किया और विभाग को यह अनुरोध किया कि जयपुर में कार्यरत होने के कारण अब चूरू में पदस्थापन करना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि तत्कालीन समय में अपीलार्थी की डीपीसी कर दी जाती तो वह कनिष्ठ लिपिक के रूप में स्थानान्तरित होकर नहीं आता बल्कि वरिष्ठ लिपिक के रूप में स्थानान्तरित होकर आता। अपीलार्थी जयपुर का मूल निवासी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित किया गया, जो नियम के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त वेतन परिलाभ मय शेष राशि भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.11.2013 के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोतीकटला, जयपुर जो पूर्व में चूरू जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कालवास, चूरू में कार्यरत था। अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक को विभाग के आदेश दिनांक 03.10.2013 के द्वारा वर्ष 2006–07 के पदों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर रिव्यू डीपीसी द्वारा पदोन्नत कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतन नगर, चूरू पदस्थापित किया गया, परंतु अपीलार्थी आदेश दिनांक 26.11.2013 के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोतीकटला, जयपुर में पदस्थापित था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 08.08.2000 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और उसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कालवास, तारानगर, चूरू पदस्थापित

किया गया। आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा रिव्यू डीपीसी के तहत अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी दिनांक 03.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी का चयन वरिष्ठ लिपिक के पद पर चूरू मण्डल में किया गया था और उसे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतन नगर, चूरू पदस्थापित किया गया, परंतु अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया और दिनांक 04.08.2007 को जयपुर स्थानान्तरित होकर अपीलार्थी ने जयपुर में कार्यग्रहण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति उपरांत पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया और उसके द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर ही जयपुर में दिनांक 04.08.2007 को कार्यग्रहण किया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को रिव्यू डीपीसी के तहत वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति लाभ का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उसे वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य